



नोटा और भारत का मतदाता

पृष्ठभूमि

- “जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र है” अब्राहम लिंक्न की यह प्रसिद्ध उक्ति लोकतंत्र की सबसे सरल और प्रचलित परिभाषा मानी जाती है। गौरतलब है कि लोकतंत्र की इस व्यवस्था में मालिकाना हक तो जनता का ही है लेकिन जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसे लेकर असंतोष ज़ाहिर किया जाता रहा है।
- लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों में यदि जनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता हो फिर भी वह यह समझकर मतदान करता है कि दो बुरे उम्मीदवारों में से जो कम बुरा है उसके पक्ष में मतदान किया जाए तो नश्चित ही यह लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत नहीं है।
- क्या हमारी व्यवस्था ऐसा उम्मीदवार नहीं दे सकती जो जनता के हित और कल्याण के लिये प्रतिबद्ध हो, मान लिया जाए कि किन्हीं परिस्थितियों में कोई भी सुयोग्य उम्मीदवार नज़र नहीं आता तो अब जनता क्या करे? इस सवाल को लेकर बहुत लम्बे समय तक बहस चलती रही।
- अंततः नोटा (none of the above-NOTA) के रूप में इसका समाधान प्रस्तुत किया गया। लेकिन क्या नोटा लोकतंत्र में जनता के मालिकाना हक को कायम रखने में सफल रहा है, या सफल रहेगा? यह अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अतः इस आलेख में नोटा की सम्भावनाओं के संबंध में चर्चा करना दिलचस्प होगा।

क्या है नोटा?

- भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ, वदिति हो कि पीपल्स यूनियन फॉर सविलि लबिर्टीज़ बनाम भारत सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश बन गया। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा (NONE OF THE ABOVE-NOTA) का गुलाबी बटन होता है। यदि पार्टियाँ ग़लत उम्मीदवार देती हैं तो नोटा का बटन दबाकर पार्टियों के प्रति जनता अपना वरिध दर्ज करा सकती है।

नोटा के तीन वर्षों के पश्चात की स्थिति

- वदिति हो कि नोटा के लागू होने के बाद से अब तक एक लोक सभा चुनाव और चार दौरे के वधिन सभा चुनाव हो चुके हैं फिर भी नोटा के तहत किये गए मतदान का प्रतिशत 2.02 से आगे नहीं बढ़ा है, दरअसल अभी भी लोगों में नोटा को लेकर जागरूकता का अभाव है।
- नोटा लागू होने के उपरांत हुए लोक सभा और वधिनसभा चुनावों के दौरान होने वाले कुल मतदान के आँकड़ों का अध्ययन करें तो कुछ दिलचस्प आँकड़े सामने आते हैं जैसे- नोटा के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत उन जगहों में अधिक रहा है जो नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं या फिर आरक्षणित चुनाव क्षेत्र हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव क्षेत्रों को आरक्षणित करने के सन्दर्भ में अभी भी सामाजिक सहभागिता का अभाव है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में राजनैतिक दलों को लेकर अभी भी उतनी दिलचस्पी नहीं पैदा हुई है।
- एक और संकेत यह देखने को मिला है कि जहाँ केवल दो मुख्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे वहाँ भी नोटा के तहत मतदान का प्रतिशत अधिक है। नक्षिर्षतः हम कह सकते हैं, लोग चुनावों में क्षेत्रीय दलों को बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। हालाँकि आँकड़े अभी तक एक से अधिक स्रोतों के माध्यम से नहीं आए हैं अतः यह देखना होगा कि नोटा के संबंध में भविष्य में आने वाले अन्य आँकड़ों का रुझान क्या है?

नोटा आवश्यक क्यों?

- वदिति हो कि नोटा की माँग का उद्देश्य यह था कि लोकतंत्र में जनता के मालिकाना हक को सुनिश्चित किया जाए। यह जनप्रतिनिधियों को नरिंकुश न होने, उन्हें उनके दायित्वों के प्रति ईमानदार बनाए रखने की कारगर व्यवस्था हो सकती है। जनता को उम्मीदवारों को नकारने का विकल्प देना इस बात का परिचायक है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है।
- गौरतलब है कि बहुत से लोग किसी भी उम्मीदवार को सही नहीं मानते हुए मतदान नहीं करना चाहते फिर भी वे इसलिये ऐसा करते हैं कि कहीं उनकी जगह कोई दूसरा मतदान न कर दे, पहले उन्हें विधि होकर किसी न किसी को मत देना ही पड़ता था लेकिन नोटा आने के बाद ऐसे लोगों को विकल्प मिला गया है।

नोटा होना न होना एक समान क्यों?

- सैद्धांतिक तौर पर तो नोटा एक महत्वपूर्ण प्रयास है लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यह वांछित परिणाम देने में उतना सफल प्रतीत नहीं हो रहा है। दरअसल, यदि नोटा के अंतर्गत पड़े मत का प्रतिशत, किसी अन्य उम्मीदवार को मिला मत के प्रतिशत से अधिक हो तब भी अन्य सभी उम्मीदवारों

में जो सबसे आगे होगा वह वजिरी घोषति कर दया जाया। इस बटु पर कई वदवान तो नोटा को लोकतंत्र के महापरव में ससि्टम की तरफ से जनता को बाँटा गया झुनझुना तक की संज्जा दे डालते हैं।

नषिकरष

- यदलोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करनी है तो चुनाव सुधार पहला परयास होना चाहयि। दरअसल, जनता यदअपने परतनिधियिों से असंतुषुट है तो अगले चुनावों में उन्हें सबक सखिा सकती है, चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं अतः जनता के पास 'राईट तो रकाल' के तहत उन्हें समय से पहले वापस बुलाने का भी अधकार है, लेकनि समस्या यह है ककिई बार ऐसी परसिथतियिों बन जाती हैं जब जनता को लगता है ककि सारे ही उम्मीदवार अयोग्य हैं, फरि भी ककिसी न ककिसी का जीतकर संसद या वधिन भवन में पहुँच जाना नशिचति ही नोटा के मूल उद्देश्य के सापेक्ष नज़र नहीं आता।
- हालाँकसुपरीम कोर्ट ने नोटा को आवश्यक बनाए जाने के अपने आदेश में केवल इस पहलू पर गौर कया था कयिदजनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वह कया करे। लेकनि यह सवाल भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कयिद नोटा को ककिसी भी उम्मीदवार से अधकि मत मलने की सूरत में कया कया जाए? मद्रास उच्च न्यायलय में नोटा के तहत सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के संबंध में एक जनहति याचकिा दायर की जा चुकी है। हालाँकभिसला केवल न्यायपालकिा के ही दायतिव का नहीं है, वधियकिा को भी नोटा को व्यवहारकि बनाए जाने के संबंध में परयास करना चाहयि।
- वकिसा या बेहतरी में अवरोध उत्पन्न होते ही जनता बदिक्ती है और राजनैतिक दलों का कला ढहने लगता है लेकनि जात और धर्म को मलाकर बनाए गए सीमेंट से इस कलि की मरम्मत कर दी जाती है। जागरूक मतदाता यह सोचता है कविह ककिसी को भी मत नहीं देगा और वह नोटा का बटन दबा आता है, जबकअपरत्यक्ष तौर पर इससे होता तो कुछ भी नहीं है, हाँ हमलोगों को यह नषिकरष नकालने का मौका ज़रूर मलि जाता है ककि ककिसी स्थान वशिष पर नोटा के अंतर्गत हुए मतदान के नहितार्थ कया हैं? नोटा की पृष्ठभूमि में यह सब कब तक चलता रहेगा? नोटा, स्वाभावकि तौर पर भी अपना अगला चरण तो तलाशेगा ही।

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/nota-and-the-indian-voter>